रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052020-219341
CG-DL-E-11052020-219341

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2020/वैशाख 21, 1942
No. 118] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2020/VAISAKHA 21, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2020

प्रकरण संख्याः एडीडी-एसएसआर 07/2020

विषय : जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थैलिक एनहाइड्राइड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी एस एस आर जांच की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/11/2020-डीजीटीआर.—1. मै. आईजी पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड/ मै. थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड तथा मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें जापान और रूस (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थैलिक एनहाइड्राइड" (पीएएन) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और निर्णायक समीक्षा करने तथा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क लागू को जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की जांच के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 9 मई, 2014 की अधिसूचना सं. 14/6/2014-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की गई थी । प्राधिकारी द्वारा दिनांक 3 नवंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 14/6/2014-डीजीएडी के माध्यम से जापान और रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश के आधार पर दिनांक 4 दिसंबर, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 56/2015 द्वारा पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना अधिसूचित किया गया था। संबद्ध देशों पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 3 दिसंबर, 2020 तक लागू है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "थैलिक एनहाइड्राइड" (पीएएन) है । "थैलिक एनहाइड्राइड" (पीएएन) थैलिक एसिड का एक एनहाइड्राइड है तथा इसे आर्थो-जाइलीन या नेप्थलीन के केटेलेटिक ऑक्सीडेशन द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किया जाता है । यह एक रंगहीन ठोस होता है जिसे विविध रूपों में थैलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, थैलिक एनहाइड्राइड (98% न्यूनतम), थैलिक एसिड एनहाइड्रस, थैलिक एनहाइड्राइड (99% न्यूनतम) आदि के रूप में जाना जाता है। थैलिक एनहाइड्राइड के विनिर्देशनों में इसका भौतिक रूप, ठोस फ्लेकों का रंग, पिघले हुए उत्पाद का रंग, ठोसीकरण बिन्दु, भार द्वारा थैलिक एनहाइड्राइड मात्रा, भार द्वारा अन्य एनहाइड्राइड और कार्बनिक अशुद्धताओं की मात्रा और अम्लता इन्डैक्स शामिल होता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-29 और उपशीर्ष 29173500 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जांच के दायरे पर से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है और यह कि ये दोनों समान वस्तुएं हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मै. आईजी पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, मै. थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड तथा मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पी यू सी के किसी आयातक से संबंधित हैं। आवेदकों का उत्पादन भारत में सकल घरेलू उत्पादन का कुल हिस्सा बनता है।

8. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

i. **रूस के लिए सामान्य मूल्य**

9. आवेदकों ने बताया है कि सार्वजनिक सूचना के अभाव की वजह से घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आवेदकों ने यह भी बताया है कि रूस से आयात भी मात्रा की दृष्टि से मामूली है और इसलिए वे रूस में खपत कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तीसरे

देश के रूप में पालैंड को रूस से निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया है क्योंकि पोलैंड को रूस से निर्यातों के रूस से संबद्ध वस्तु के निर्यातों का मात्रा में सबसे अधिक हिस्सा होने का दावा किया गया है। तथापि, तीसरे देश की उपयुक्तता के संबंध में विस्तृत औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तीसरे देश के रूप में पोलैंड की उपयुक्तता की जांच होने तक सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के सर्वाधिक कुशल घटक की उत्पादन लागत तथा तर्कसंगत लाभ के आधार पर परिकलित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ii. **जापान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

10. आवेदकों ने बताया है कि सार्जनिक सूचना के अभाव में घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आवेदकों ने तीसरे देश के रूप में मलेशिया को जापान से निर्यात कीमत के सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रस्ताव किया है। तथापि, तीसरे देश के रूप में मलेशिया की उपयुक्तता के संबंध में विस्तृत औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तीसरे देश के रूप में मलेशिया की उपयुक्तता की जांच होने तक सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के सर्वाधिक कुशल घटक की उत्पादन लागत तथा तर्कसंगत लाभ के आधार पर परिकलित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

iii. **निर्यात कीमत**

11. आवेदकों ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत परिकलित की है। निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय परिवहन और पत्तन व्यय के लिए समायोजित किया गया है।

iv. **पाटन मार्जिन**

12. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्याति कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क (1) (क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। डंपिंग मार्जिन न केवल डी मिनिमिस से ऊपर है, बल्कि पर्याप्त भी है।

पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में प्रस्तुत किए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतत् द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या मौजूदा शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

संबद्ध देश

14. वर्तमान निर्णायक जांच में संबद्ध देश जापान और रूस हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

15. नियम २२ के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि:

> *इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, जांच की अवधि, - (i) जांच शुरू होने की तारीख तक छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होगी। (ii) बारह महीने की अवधि के लिए हो और नामित प्राधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने पर विचार कर सकते हैं।"*

16. नियमों में उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए, वर्तमान जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 (12 महीने) की है तथा क्षति अवधि में अप्रैल 2016- मार्च 2017, अप्रैल 2017- मार्च 2018, अप्रैल 2018- मार्च 2019, और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

17. इस समीक्षा में जापान और रूस से थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाली दिनांक 3 नसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 14/6/2014-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे । प्राधिकारी यथाअपेक्षित ढंग से पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण भी करेंगे ।

18. संबंधित नियमावली नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg12-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए ।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg12-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल क माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में सस्तुत करना अपेक्षित है । उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं ।

असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2020

Case No. ADD-SSR-07/2020

Subject: Sunset Review of anti-dumping investigation concerning imports of "Phthalic Anhydride" originating in or exported from Japan and Russia.

F. No. 7/11/2020-DGTR .—1. M/s. IG Petrochemicals Limited, M/s. Thirumalai Chemicals Ltd. and M/s. SI Group India Pvt. Ltd., (hereinafter also referred to as "Applicants") have filed before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein also referred to as the "Rules"), as amended from time to time for sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of "Phthalic Anhydride (PAN)" (hereinafter also referred to as the subject goods or the product under consideration), originating in or exported from Japan and Russia (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. The Applicants have alleged likelihood of continuance or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for sunset review and continuation of the anti-dumping duties imposed on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Background

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide notification No. 14/6/2014-DGAD, dated 9th May 2014. On the basis of recommendation made by the Authority, vide Notification No. 14/6/2014-DGAD, dated 3rd November 2015 for definitive antidumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from Japan and Russia, the imposition of antidumping duty was notified vide Customs Notification No. 56/2015 Customs, dated 4th December 2015. The current anti-dumping duty imposed on the subject countries are in force till 3rd December 2020.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present application is "Phthalic Anhydride" (PAN). Phthalic Anhydride (PAN) is an anhydride of Phthalic Acid and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colorless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. Specifications of Phthalic Anhydride includes its physical appearance, color of solid flakes, color of molten product, solidification point, Phthalic Anhydride content by weight, other anhydrides & organic impurities' content by weight and acidity index.

5. The product under consideration is classified under chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975 and subheading 29173500.The custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

Like Article

6. The Applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the petitioning domestic producers and those exported from subject countries and that the two are like articles and are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioning domestic producers are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic industry & Standing

7. The application has been filed by M/s IG Petrochemicals Limited, M/s Thirumalai Chemicals Ltd. and M/s SI Group India Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as "Domestic Industry"). The Applicants have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. The Applicants' production account for total share of the gross domestic production in India.

8. On the basis of information available, the Authority holds that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

Likelihood of continuation or recurrence of dumping

i. **Normal value for Russia**

9. The Applicants have stated that normal value could not be determined based on domestic selling price for want of public information. The Applicants have further stated that even the imports in Russia are insignificant in volume and so they could not determine the normal value based on the consumption price in Russia. They have attempted to determine the normal value on the basis of export price from Russia to Poland as third country as the exports from Russia to Poland is claimed to have the highest share in the volume of exports of subject goods from Russia. However, detailed justification in regard to appropriateness of third country has not been furnished. Pending examination of the appropriateness of Poland as third country, normal value has been constructed based on the cost of production of the most efficient constituent of the domestic industry plus reasonable profit. The normal value so constructed is given in the dumping margin table.

ii. **Determination of normal value for Japan**

10. The Applicants have stated that normal value could not be determined based on domestic selling price for want of public information. The Applicants have proposed export price from Japan to Malaysia as third country for the purpose of determination of normal value. However, detailed justification in regard to appropriateness of third country has not been furnished. Pending examination of the appropriateness of Malaysia as third country, normal value has been constructed based on the cost of production of the most efficient constituent of the domestic industry plus reasonable profit. The normal value so determined is given under the dumping margin table.

iii. **Export price**

11. The applicants computed the export price on the basis of transaction wise import data procured from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistic. Export prices have been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Bank Charges, Inland Transportation and port expenses.

iv. **Dumping Margin**

12. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. The dumping margin is not only above de minimis but also substantial.

Initiation of Sunset Review of Anti-dumping investigation

13. On the basis of duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

Subject Countries

14. The subject countries in the present sunset investigation are Japan and Russia.

Period of Investigation (POI)

15. Explanation to Rule 22 of Rules states that:

For the purposes of these rules, the period of investigation shall,- (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation. (ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months."

16. In view of the above provision in the Rules, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is April, 2019 to March, 2020 (12 months) and the injury period will cover the periods April 2016- March 2017, April 2017-March 2018, April 2018-March 2019 and the POI.

Procedure

17. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/6/2014-DGAD, dated 3rd November 2015, recommending imposition of anti-dumping duty on imports of "Phthalic Anhydride (PAN)" from Japan and Russia. The Authority would also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in.

20. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

23. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within 60 days of the issue of this initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

27. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.05.11 22:21:05 +05'30'